राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492015 (छत्तीसगढ़)
दूरभाष–0771–2511287, फैक्स–0771–2511288, ई–मेल office.mdnrhm@gmail.com

ज्ञा.क्रमांक / NHM / HR / 2020 / NS-1712/4192 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08/04/2020

/ / विज्ञापन / /

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 7(23)/2020–NHM-I दिनांक 7 अप्रैल 2020 के तारतम्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत आर.ओ.पी. वित्तीय वर्ष 2019–20 में "एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)" में स्वीकृत राज्य एवं जिला स्तरीय रिक्त संविदा पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक **दिनांक 14 अप्रैल 2020** समय 05:00pm तक ई–मेल के माध्यम से अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र **मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़** के कार्यालयीन ई–मेल आईडी cgnhmrecruitment@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं। संविदा रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है –

S.No.	Name of Post	Programme	Total	UR	OBC	SC	ST	Essential Qualification	According to rationalization Salary (Per Month)
1	State Epidemiologist-IDSP	**IDSP**	**1**	1	0	0	0	1) MD, PSM With 02 years experience related to Public Health Programmes or Epidemiology. 2) MBBS With MPH With 02 years experience in issuse related to Public Health Programmes or Epidemiology. 3) MBBS With 02 years experience related to Public Health Programmes or Epidemiology.	**60500/–**
								Master Degree in Epidemiology With 02 years experience related to Public Health Programmes or Epidemiology.	**45000/–**
2	State Veterinary Consultant-IDSP	**IDSP**	**1**	1	0	0	0	Bachelor Degree in Veterinary Science and Animal Husbandary(as listed in 1st and 2nd Schedule of Indian Veterinary Council Act) Regitration in Veterinary Council of India or State Veterinary Council with 2 Years experience in Veterinary Public Health Or Veterinary Epidemiology or Animal Health.	**45000/–**

क्रमशः 02

3	District Epidemiologist - IDSP	**IDSP**	**17**	5	2	2	8	1-Master Degree in Public health/Health Management/Health Administration With I) BDS OR II) AYUSH OR III) Allied Health Science (BPT/Pharmacist/Nursing)-(Common merit list will prepered) 2-Diploma in Public health/Health Management/Health Administration-Regular With I) BDS OR II) AYUSH OR III) Allied Health Science (BPT/Pharmacist/Nursing)-(Common merit list will prepered) ***Merit list will be Prepared on the basis of PG Degree's/ Diploma marks.*** ***First preference will be given to Degree candidate***	**35000/–**
Total :-			**19**	**7**	**2**	**2**	**8**		

नोट – अभ्यर्थी निरंतर विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in का अवलोकन करते रहें। विज्ञापन से संबंधित समस्त जानकारी विभागीय वेबसाईट के माध्यम से ही दी जावेगी। अन्य किसी भी माध्यम से कोई जानकारी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी।

:: नियम एवं शर्तें ::

1.– भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विशेष निर्देश

1.1 वर्तमान में COVID 19 महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उक्त आपातकालीन विज्ञापन हेतु ई–मेल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है।

1.2 ई–मेल से प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर ही स्क्रूटनी कर अभ्यर्थियों की पात्र/अपात्र सूची तैयार कर दावा आपत्ति हेतु दिनांक **16 अप्रैल 2020** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी।

1.3 अभ्यर्थियों को दिनांक **16 से 17 अप्रैल 2020** समयः– 5:00 बजें तक दावा आपत्ति ईमेल–cgnhmrecruitment@gmail.com के माध्यम से ही लिया जावेगा।

1.4 विज्ञापन अनुरूप निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

//03//

2.1 मानव संसाधन नीति 2018 में निर्धारित अनुपात के आधार पर विज्ञापित पदों के विरूद्ध मेरिट सूची से आवश्यकतानुसार आवेदकों का ऑनलाईन (Zoom/skype) साक्षात्कार दिनांक 19 से 21 अप्रैल 2020 तक लिया जा सकेगा।

2.2 शैक्षणिक योग्यता, अनुभव अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी किया जायेगा।

2.3 नियुक्ति उपरांत कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति के समय ही आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा परीक्षण के दौरान कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में आवेदक की नियुक्ति समाप्त मानी जावेगी तथा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकेगी।

2.4 भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद/समस्या की स्थिति में अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ का होगा।

2.– आवेदन पत्र के संबंध में

2.1 इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ कार्यालयीन ई–मेल आईडी **cgnhmrecruitment@gmail.com** में निर्धारित समय के पूर्व प्रेषित कर सकते हैं।

2.2 निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त एवं त्रुटि पूर्ण आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2.3 आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज स्पष्ट नहीं होने की दशा में आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।

2.4 विज्ञापन की तिथि में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत किया जावेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकर नहीं किया जावेगा। अतः अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

2.5 आवश्यकतानुसार ऑनलाईन के माध्यम से साक्षात्कार का आयोजन किया जावेगा जिसकी सूचना आवेदकों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से दी जावेगी।

2.6 आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते है। किंतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र भरना होगा।

2.7 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र केवल छ.ग. शासन/यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था के ही मान्य होंगे।

3. चयन प्रकिया :–

3.1 उक्त भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों को उनके योग्यता के आधार पर पात्र–अपात्र करने का अधिकार राज्य स्तरीय चयन समिति को होगा।

3.2 प्राप्त आवेदनो में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार कर आवश्यकतानुसार साक्षात्कार ली जावेगी –

क्र.	कुल विज्ञापित पदो की संख्या	स्क्रीनिंग/लिखित/कौशल परीक्षा लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 5 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 3 गुना

3.3 अभ्यर्थियों को नियुक्ति उपरांत कार्यालय में उपस्थिति के समय निम्न अभिलेखों की मूल प्रति एवं एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा –

- 10 वीं की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)।
- स्नातक एवं स्नाकोत्तर परीक्षा व समस्त वर्षो की अंकसूची।
- संबंधित डिग्री/प्रमाण पत्र।
- संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाणपत्र (संबंधित है तो)।
- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र (संबंधित है तो)।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- स्वयं पहचान पत्र (ID- Proof), Passport size Photo (1) एवं Address proof।
- अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

4.– आयु सीमा

01 जनवरी 2020 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2020 से की जावेगी।

5.– आवश्यकतानुसार साक्षात्कार आयोजित किये जाने की स्थित में मेरिट सूची–

- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता(स्नातक/स्नात्तकोत्तर) के सभी वर्षो के प्राप्तांको का – 65 प्रतिशत।
- अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों से संबंधित के ही मान्य किये जावेंगे। (एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक)
- अनुभव प्रमाणपत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होगें। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगें।
- **मान्यता प्राप्त निजी संस्था से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जावेगा, किन्तु उन्हे अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।**

6.– अंतिम चयन सूची –

- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का – 65 प्रतिशत अंक
- अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किये जावेंगे। (एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक)
- अनुभव प्रमाणपत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होगें। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगें।
- **मान्यता प्राप्त निजी संस्था से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जावेगा, किन्तु उन्हे अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।**
- 20 अंको का साक्षात्कार आनलाईन (Zoom/Skype)के माध्यम से लिया जावेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को कुल अंक का 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 40 प्रतिशत अंक अर्जित नही करने की दशा में उम्मीद्वारो को अपात्र माना जावेगा।

क्रमशः 05

अंतिम प्रावीण्य सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नात्तकोत्तर) के सभी वर्षो के प्राप्तांको का 65 प्रतिशत अंक, अनुभव के अंक तथा साक्षात्कार में प्राप्तांको के आधार पर तैयार की जावेगी। जहां पर शैक्षणिक योग्यता प्राथमिकता क्रम में दर्शित हो वहाँ पर अंतिम चयन हेतु प्रावीण्य सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में दर्शित प्राथमिकता कम के अनुसार ही रहेगी।

- **प्रावीण्य सूची में छत्तीसगढ़ के अभ्यार्थियों के पश्चात् ही अन्य राज्यों के अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आरक्षण का लाभ नही दिया जावेगा।**

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा–निर्देश –

1. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र/प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनो पक्षो से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
2. संविदा मानदेय :– संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
3. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।
4. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।
5. संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगें।
6. विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/महिला आरक्षण नियमानुसार होगी) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने के स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
9. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।
10. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
11. पदों की संख्या पदों की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तनशील है। उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदो को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा। **प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदो हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदो से 100 प्रतिशत अभ्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची मे रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।**

क्रमशः 06

12. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
13. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गयी है चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जावेगा।
14. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ0ग0 को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।

(मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित)

08/04/2020

उप संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़